



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक)

पूरक परीक्षा कार्यक्रम-2020

समय— प्रातः 08.30 से 11.45 तक

अपराह्ण 01:45 से 05:00 तक

वार/दिनांक	समय	विषय (कोड)
गुरुवार, 03 सितम्बर, 2020	प्रातः 08:30 से 11:45 तक	हिन्दी अनिवार्य (01), अंग्रेजी अनिवार्य (02), लोक प्रशासन (06), अर्थशास्त्र (10), राजनीति विज्ञान (11), इतिहास (13), समाज शास्त्र (29), लेखाशास्त्र (30) शीघ्रलिपि-हिन्दी (32), शीघ्रलिपि-अंग्रेजी (33) कृषि रसायन विज्ञान (38), कृषि जीव विज्ञान (39), भौतिक विज्ञान (40), रसायन विज्ञान (41), जीव विज्ञान (42), भौतिक विज्ञान (43), शारीरिक शिक्षा (80), पर्यावरण विज्ञान (61), कृषि विज्ञान (84), दर्शनशास्त्र (85)
शुक्रवार, 04 सितम्बर, 2020	प्रातः 08:30 से 11:45 तक	भूगोल (14), व्यवसाय अध्ययन (31)
शनिवार, 05 सितम्बर, 2020	प्रातः 08:30 से 11:45 तक	हिन्दी साहित्य (21), उर्दू साहित्य (22), सिंची साहित्य (23), गुजराती साहित्य (24), पंजाबी साहित्य (25), राजस्थानी साहित्य (26), फारसी (27), प्राकृत भाषा (28), टंकण लिपि (अंग्रेजी) (35) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ किया जावे।)
रविवार, 06 सितम्बर, 2020		रविवार अवकाश
सोमवार, 07 सितम्बर, 2020	प्रातः 08:30 से 11:45 तक	चित्रकला (17)
मंगलवार, 08 सितम्बर, 2020	प्रातः 08:30 से 11:45 तक	गणित (15)
बुधवार, 09 सितम्बर, 2020	प्रातः 08:30 से 11:45 तक	संस्कृत साहित्य (12)
गुरुवार, 10 सितम्बर, 2020	प्रातः 08:30 से 11:45 तक	गृह विज्ञान (18)
	अपराह्ण 01:45 से 04:00 तक	ऑटोमोबाईल (101) / सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102) / स्वास्थ्य देखभाल (103) / सूचना प्रौद्योगिकी (IT) व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं (ITes) (104), फुटकर बिक्री (105) / ट्रेवल एण्ड ट्रूयूरिज्म (106) / निजी सुरक्षा (107) / परिधान निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा (108) / इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स (109) / सूचना प्रौद्योगिकी (कृषि) (110)
शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020	प्रातः 08:30 से 11:45 तक	सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग (03)
	अपराह्ण 01:45 से 05:00 तक	अंग्रेजी साहित्य (20), टंकण लिपि (हिन्दी) (34) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ किया जावे।)
शनिवार, 12 सितम्बर, 2020	प्रातः 08:30 से 11:45 तक	मनविज्ञान (19)
	अपराह्ण 01:45 से 05:00 तक	कंठसंगीत (16) नृत्य कथक (59), वाद्य संगीत [तबला (63), पखावज (64), सितार (65), सरोद (66), वाईलिन (67), दिलरुबा (68), बांसुरी (69), गिटार (70)]

मुख्य बिन्दु :- 1. COVID -19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के निर्देशों की पालना कर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

2. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। परीक्षार्थी, परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा / जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न प्रत्यक्ष करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतिलेखक देय होगा।
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतिलेखक देय होगा।
5. भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थी अपना इन्स्ट्रुमेंट बॉक्स साथ लायेंगे।
6. परीक्षा कक्ष में केलव्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
7. टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे। विद्यालय को जहां के परीक्षार्थी टंकण लिपि में उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहे हों तो उन्हें प्रत्येक चार छात्रों के लिये एक टंकण यन्त्र केन्द्र पर भेजना होगा। यदि टंकण यन्त्रों की कमी हो तो विद्यालय बोर्ड की पूर्व स्थीकृति से चार के बजाय पाँच परीक्षार्थियों के लिये एक टंकण यन्त्र भेज सकते हैं। स्वयंपाठी परीक्षार्थी रूपये ही टंकण यन्त्र का प्रबन्ध करेंगे। परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक टंकण यन्त्र उपलब्ध न हो तो केन्द्राधीक्षक को चाहिये कि उपलब्ध टंकण यन्त्रों के अनुसार परीक्षार्थियों के दल बना लें। प्रत्येक दल के परीक्षार्थियों की सूची एवं उन्हे किस समय परीक्षा केन्द्र पर आना है, इसकी सूचना दे देंगे। प्रत्येक दल की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र एकत्र कर लिये जावेंगे तथा उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी जायेगी। सम्बन्धित दल की परीक्षा प्रारम्भ होने वाले समय से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को केन्द्र पर बुलाया जावे।
8. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक / वीक्षक / उड़नदस्ते के सदस्यों / निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति / मनाही / अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा।
9. प्रश्न—पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।
10. प्रश्न—पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
11. प्रश्न—पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुरिताका के अन्त में 'समाप्त' शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटें।

सचिव



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

वरिष्ठ उपाध्याय

पूरक परीक्षा कार्यक्रम—2020

समय— प्रातः 08.30 से 11.45 तक

अपराह्ण 01:45 से 05:00 तक



वार/दिनांक	समय	विषय (कोड)
गुरुवार, 03 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 11.45 तक	हिन्दी अनिवार्य (01), अंग्रेजी अनिवार्य (02), लोक प्रशासन (06), अर्थशास्त्र (कला वर्ग) (10), राजनीति विज्ञान (कला वर्ग) (11), इतिहास (कला वर्ग) (13), समाजशास्त्र (कला वर्ग) (29), शीघ्रलिपि—हिन्दी (32), शीघ्रलिपि—अंग्रेजी (33), शारीरिक शिक्षा (60), पर्यावरण विज्ञान (61), दर्शन शास्त्र (85)
शुक्रवार, 04 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 11.45 तक	भूगोल (कला वर्ग) (14)
शनिवार, 05 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 11.45 तक	हिन्दी साहित्य (कला वर्ग) (21), टंकण लिपि (अंग्रेजी) (35) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ किया जावे।)
रविवार, 06 सितम्बर, 2020		रविवार अवकाश
सोमवार, 07 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 11.45 तक	चित्रकला (कला वर्ग) (17)
मंगलवार, 08 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 11.45 तक	गणित (15)
बुधवार, 09 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 11.45 तक	संस्कृत वाङ्मय (94)
गुरुवार, 10 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 11.45 तक	गृह विज्ञान (कला वर्ग) (18)
	अपराह्ण 01:45 से 05:00 तक	ऋग्वेद (44), शुक्ल यजुर्वेद (45), कृष्ण यजुर्वेद (46), सामवेद (47), अथर्ववेद (48), च्याय दर्शन (49), वेदान्त दर्शन (50), मीमांसा दर्शन (51), जैन दर्शन (52), निम्बार्क दर्शन (53), वल्लभ दर्शन (54), सामान्य दर्शन (55), रामानन्द दर्शन (57) व्याकरण शास्त्र (86), साहित्य शास्त्र (87), पुराणेतिहास (88), धर्मशास्त्र (89), ज्योतिष शास्त्र (90), सामुद्रिक शास्त्र (91), वास्तुविज्ञान (92), पौरोहित्य शास्त्र (93)
शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 11.45 तक	सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग (03)
	अपराह्ण 01:45 से 05:00 तक	अंग्रेजी साहित्य (कला वर्ग) (20), टंकण लिपि (हिन्दी) (34) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ किया जावे।)
शनिवार, 12 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 11.45 तक	मनोविज्ञान (19)
	अपराह्ण 01:45 से 05:00 तक	सामान्य विज्ञान (56)
मुख्य बिन्दू :—		
1. COVID -19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के निर्देशों की पालना कर यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।		
2. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। परीक्षार्थी, परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।		
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतिलेखक देय होगा।		
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतिलेखक देय होगा।		
5. भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थी अपना इंस्ट्रुमेन्ट बॉक्स साथ लायेंगे।		
6. परीक्षा कक्ष में केलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।		
7. टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे। विद्यालय को जहां के परीक्षार्थी टंकण लिपि में उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहे हों तो उन्हें प्रत्येक चार छात्रों के लिये एक टंकण यन्त्र केन्द्र पर भेजना होगा। यदि टंकण यन्त्रों की कमी हो तो विद्यालय बोर्ड की पूर्व स्थीकृति से चार के बजाय पाँच परीक्षार्थियों के लिये एक टंकण यन्त्र भेज सकते हैं। स्वयंपाठी परीक्षार्थी स्वयं ही टंकण यन्त्र का प्रबन्ध करेंगे। परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक टंकण यन्त्र उपलब्ध न हो तो केन्द्रधीकृत को चाहिये कि उपलब्ध टंकण यन्त्रों के अनुसार परीक्षार्थियों के दल बना लें। प्रत्येक दल के परीक्षार्थियों की सूची एवं उन्हे किस समय परीक्षा केन्द्र पर आना है, इसकी सूचना दे देंगे। प्रत्येक दल की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र एकत्र कर लिये जावेंगे तथा उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी जायेगी। सम्बन्धित दल की परीक्षा प्रारम्भ होने वाले समय से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को केन्द्र पर बुलाया जावे।		
8. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्रधीकृत/वीक्षक/उडनदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा।		
9. प्रश्न—पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।		
10. प्रश्न—पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।		
11. प्रश्न—पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के अन्त में “समाप्त” शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।		

सचिव



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर



उच्च माध्यमिक एवं उ. मा.
(व्यावसायिक) (मूक बधिर)
पूरक परीक्षा कार्यक्रम—2020

समय— प्रातः 08.30 से 12.45 तक
अपराह्ण 01:45 से 05:00 तक

वार/दिनांक	समय	विषय (कोड)
गुरुवार, 03 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 12.45 तक	हिन्दी अनिवार्य (01), लोक प्रशासन (06), राजनीति विज्ञान (11), इतिहास (13), समाज शास्त्र (29)
शुक्रवार, 04 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 12.45 तक	भूगोल (14).
शनिवार, 05 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 12.45 तक	हिन्दी साहित्य (21)
रविवार, 06 सितम्बर, 2020		रविवार अवकाश
सोमवार, 07 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 12.45 तक	चित्रकला (17)
मंगलवार, 08 सितम्बर, 2020		अन्तराल
बुधवार, 09 सितम्बर, 2020		अन्तराल
गुरुवार, 10 सितम्बर, 2020	प्रातः 08.30 से 12.45 तक	गृह विज्ञान (18)
	अपराह्ण 01:45 से 05:00 तक	ऑटोमोबाईल (101)/सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)/स्वास्थ्य देखभाल (103)/सूचना प्रौद्योगिकी (IT) व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं (ITes) (104), फुटकर बिकी (105)/ ड्रेवल एण्ड ट्यूरिज्म (106)/ निजी सुरक्षा (107)/परिधान निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा (108)/ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स (109)/सूक्ष्म सिचाई प्रणाली (कृषि) (110)
मुख्य बिन्दु :—		
1. COVID -19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के निर्देशों की पालना कर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।		
2. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी। परीक्षार्थी, परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।		
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीबल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न प्रत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतिलेखक देय होगा।		
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतिलेखक देय होगा।		
5. भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थी अपना इंस्ट्रुमेन्ट बॉक्स साथ लायेंगे।		
6. परीक्षा कक्ष में केलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।		
7. टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जावे। विद्यालय को जहां के परीक्षार्थी टंकण लिपि में उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहे हों तो उन्हें प्रत्येक चार छात्रों के लिये एक टंकण यन्त्र केन्द्र पर भेजना होगा। यदि टंकण यन्त्रों की कमी हो तो विद्यालय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से चार के बजाय पाँच परीक्षार्थियों के लिये एक टंकण यन्त्र भेज सकते हैं। स्वयंपाठी परीक्षार्थी स्वयं ही टंकण यन्त्र का प्रबन्ध करेंगे। परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक टंकण यन्त्र उपलब्ध न हो तो केन्द्राधीक्षक को चाहिये कि उपलब्ध टंकण यन्त्रों के अनुसार परीक्षार्थियों के दल बना लें। प्रत्येक दल के परीक्षार्थियों की सूची एवं उन्हे किस समय परीक्षा केन्द्र पर आना है, इसकी सूचना दे देंगे। प्रत्येक दल की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र एकत्र कर लिये जावेंगे तथा उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी जायेगी। सम्बन्धित दल की परीक्षा प्रारम्भ होने वाले समय से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को केन्द्र पर बुलाया जावे।		
8. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा।		
9. प्रश्न—पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।		
10. प्रश्न—पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।		
11. प्रश्न—पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्त में “समाप्त” शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटें।		

सचिव



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

माध्यमिक एवं माध्यमिक (व्यावसायिक)

पूरक परीक्षा कार्यक्रम 2020

समय प्रातः 08:30 से 11:45 तक

वार/दिनांक	विषय (कोड)
गुरुवार, 03 सितम्बर, 2020	ऑटोमोटिव (101) / सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102) / सूचना प्रौद्योगिकी (IT) व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं (ITes)(104), फुटकर बिक्री (105) / ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटलिटी (106) / निजी सुरक्षा (107) / परिधान निर्माण, वस्त्र और गृहसज्जा (108) / इलेक्ट्रोनिक्स एंड हार्डवेयर (109) / कृषि (110) / प्लम्बर (111) / टेलीकॉम (112)
शुक्रवार, 04 सितम्बर, 2020	अंग्रेजी अनिवार्य (02)
शनिवार, 05 सितम्बर, 2020	हिन्दी अनिवार्य (01), विज्ञान (07), तृतीय भाषा— संस्कृत (71), उर्दू (72), गुजराती (73), सिन्धी (74), पंजाबी (75)
रविवार, 06 सितम्बर, 2020	रविवार अवकाश
सोमवार, 07 सितम्बर, 2020	गणित (09)
मंगलवार, 08 सितम्बर, 2020	सामाजिक विज्ञान (08)

मुख्य बिन्दू :-

1. COVID -19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के निर्देशों की पालना कर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
2. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी। परीक्षार्थी, परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा / जन्मजात विकलांगता यथा LV & TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD (ऑटिज्म, मंदबुद्धि, लर्निंग डिसऑर्डर, प्रमस्तिष्कीय, पक्षघात, बहुविकलांगता, थैलिसिमिया, हिमोफिलिया) पर लागू होगी तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न प्रत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
5. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड्डनदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा।
6. प्रश्न—पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।
7. परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखें।
8. परीक्षा कक्ष में केलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
9. प्रश्न—पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
10. प्रश्न—पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के अन्त में “समाप्त” शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।

सचिव



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रवेशिका

पूरक परीक्षा कार्यक्रम—2020

समय— प्रातः 08.30 से 11.45 तक

वार / दिनांक	विषय (कोड)
गुरुवार, 03 सितम्बर, 2020	संस्कृतम् (प्रथम प्रश्न पत्र) (95/1)
शुक्रवार, 04 सितम्बर, 2020	अंग्रेजी अनिवार्य (02)
शनिवार, 05 सितम्बर, 2020	हिन्दी अनिवार्य (01), विज्ञान (07), संस्कृतम् (द्वितीय प्रश्न पत्र) (95/2)
रविवार, 06 सितम्बर, 2020	रविवार अवकाश
सोमवार, 07 सितम्बर, 2020	गणित (09)
मंगलवार, 08 सितम्बर, 2020	सामाजिक विज्ञान (08)


मुख्य बिन्दु :—

1. COVID-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के निर्देशों की पालना कर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
2. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। परीक्षार्थी, परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा / जन्मजात विकलांगता यथा LV & TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD (ऑटिज्म, मंदबुद्धि, लर्निंग डिसऑर्डर, प्रमस्तिष्कीय, पक्षघात, बहुविकलांगता, थैलिसिमिया, हिमोफिलिया) पर लागू होगी तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न प्रत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
5. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जायेगा।
6. प्रश्न—पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।
7. परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखें।
8. परीक्षा कक्ष में कैलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
9. प्रश्न—पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
10. प्रश्न—पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्त में “समाप्त” शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।

सचिव



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर



समय— प्रातः 08.30 से अपराह्न 12.45 तक

वार/दिनांक	विषय (कोड)
गुरुवार, 03 सितम्बर, 2020	ऑटोमोटिव (101)/सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)/सूचना प्रौद्योगिकी (IT) व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएँ (ITes)(104), फुटकर बिकी (105)/ ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटलिटी (106)/ निजी सुरक्षा (107)/परिधान निर्माण, वस्त्र और गृहसज्जा (108)/इलैक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर (109)/ कृषि (110)/प्लम्बर (111)/टेलीकॉम (112)
शुक्रवार, 04 सितम्बर, 2020	अंग्रेजी अनिवार्य (122)
शनिवार, 05 सितम्बर, 2020	हिन्दी अनिवार्य (121), विज्ञान (123)
रविवार, 06 सितम्बर, 2020	रविवार अवकाश
सोमवार, 07 सितम्बर, 2020	गणित (125)
मंगलवार, 08 सितम्बर, 2020	सामाजिक विज्ञान (124)
मुख्य बिन्दू—	<p>1. COVID -19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के निर्देशों की पालना कर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।</p> <p>2. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी। परीक्षार्थी, परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।</p> <p>3. वृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा /जन्मजात विकलांगता यथा LV & TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD (ऑटिज्म, मंदबुद्धि, लर्निंग डिसऑर्डर, प्रमस्तिष्ठीय, पक्षघात, बहुविकलांगता, थैलिसिमिया, हिमोफिलिया) पर लागू होगी तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न प्रत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।</p> <p>4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।</p> <p>5. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/यीक्षक/उडनदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा।</p> <p>6. प्रश्न—पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।</p> <p>7. परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखें।</p> <p>8. परीक्षा कक्ष में कैलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।</p> <p>9. प्रश्न—पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।</p> <p>10. प्रश्न—पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्त में “समाप्त” शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।</p>

सचिव